बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : **https://bsea.bihar.gov.in**, ई-मेल : **bseapatna@gmail.com**

पटना/ दिनांक : 17/03/2026

अधिसूचना

संख्या-नि॰प्रा॰/ नि॰ 1-36/2023 (खण्ड) ..665... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी से ऑनलाईन प्राप्त निर्वाचन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **कुर्था प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, प्रखंड-कुर्था, जिला-अरवल की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **कंडिका-5** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **कुर्था प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड** के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 20.04.2026 (सोमवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या-366 दिनांक 11.02.2026 द्वारा कट-ऑफ तिथि क्रमशः दिनांक 31.01.2026 निर्धारित करते हुए मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम निर्गत किया गया। तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 12.03.2026 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्वाचन प्रस्ताव के अनुसार **कुर्था प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड** का निर्वाचन कराया जाना है।

5. **कुर्था प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड** के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन	23.03.2026 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	08.04.2026 (बुधवार) एवं 09.04.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	10.04.2026 (शुक्रवार) एवं 11.04.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	13.04.2026 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.04.2026 (सोमवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	20.04.2026 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.04.2026 (बुधवार)

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र–ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना **दिनांक 23.03.2026** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय– 3 की कंडिका– (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. **निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा :–**

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व	प्रपत्र ई०–1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode-Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है।

8. **प्रपत्र ई०–1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।**

9. निर्वाचन पदाधिकारी उपरोक्त कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों को भी उपलब्ध कराएंगे।

10. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र–ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई–मेल

(bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई–18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।**

11. **निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड कराएँगे।**

12. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात **दिनांक 22.04.2026 तक** लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134–142 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

17.3.26

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपि : ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपिः जिला सहकारिता पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ **दिनांक 21.03.2026** तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन–जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), अरवल/ उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰), अरवल / पुलिस अधीक्षक, अरवल/ अपर समाहर्त्ता, अरवल/ प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), कुर्था (अरवल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), कुर्था (अरवल) को इस निदेश के साथ कि निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में निर्वाचन हेतु आवंटित की गई राशि 07 दिनों के अन्दर प्राधिकार के पत्रांक 1860 दिनांक 17.10.2024 एवं पत्रांक 967 दिनांक 05.05.2020 के आलोक में वापस करेंगे।

3. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), अरवल से अनुरोध है कि चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

4. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध से सादर अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 460 दिनांक 06.06.2017 (प्राधिकार के वेबसाईट पर उपलब्ध) के आलोक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति **दिनांक 01.04.2026 तक** करना सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सादर अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु कृपया अपने स्तर से निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को इस निदेश के साथ कि नामांकन के तत्काल बाद प्राधिकार के निर्वाचन आवंटन संबंधी पत्रांक 1860 दिनांक 17.10.2024 एवं पत्रांक 967 दिनांक 05.05.2020 के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवंटन भेजने से संबंधी आवश्यक कार्रवाई करें।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक : 17/03/2026

प्रतिलिपिः प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.3.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 665 /पटना, दिनांक : 17/03/2026

प्रतिलिपिः MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित वेबसाईट पर की जानेवाली सभी प्रविष्टियाँ तथा ई–18 और अंतिम मतदाता सूची अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

17.3.26

संयुक्त सचिव